विपणन सहायता स्कीम

1. पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पिछले पांच दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के एक गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। सू.ल.म.उ. न सिर्फ बड़े उद्यमों की तुलना में कम पूंजी लागत पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण में सहायता करता है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है तथा राष्ट्रीय आय और धन का अधिक समान वितरण सुनिश्चित होता है। सू.ल.म.उ बड़े उद्यमों के लिए सहायता-इकाईयों के रूप में पूरक होते हैं तथा इनका देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत योगदान है।

तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ने भारत में सू.ल.म.उ. के समक्ष अनेकों अवसर और चुनौतियां उत्पन्न की हैं। एक ओर तो, इस क्षेत्र के समक्ष अपनी उत्पादकता बढ़ाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार तलाशने के नए अवसर खोले हैं, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के सामने अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाना है क्योंकि विश्वव्यापी बाजार में नए-नए उत्पाद बहुत तेज गति से बहुत कम समय में सामने आ रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पास बड़े उद्योगों की तरह व्यापार/बाजार के विकास के लिए रणनीतिक उपकरण/साधन नहीं होते हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में, विपणन सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है जहां सू.ल.म.उ. बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं।

2. विपणन सहायता स्कीम

विपणन, जो कि व्यापार विकास के लिए एक रणनीति उपकरण है, वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि और जीविता के लिए महत्वपूर्ण है। किसी उद्यम की सफलता के लिए विपणन सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बड़े उद्यमों के पास बहुत अधिक संसाधन होते हैं जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन की देखरेख के लिए बड़े स्तर पर कार्मिकों को किराए पर लगा सकते है। सू.ल.म.उ. क्षेत्र के पास उक्त संसाधन नहीं हैं और इसलिए इसके विपणन क्षेत्र में इन इनपुटों का उपयोग करने के लिए सांस्थानिक सहायता की जरूरत होती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से विपणन सहायता स्कीम के अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विपणन सहायता उपलब्ध कराता है।

पिछले वर्षों के दौरान वृहद् और विविधतापूर्ण सेवा क्षेत्रों का जो विकास हुआ है, उसने एक ऐसी स्थिति पैदा की थी जिसके तहत अब लघु उद्यमों के सरोकारों की ओर ध्यान देना मात्र पर्याप्त नहीं था बल्कि उद्यमों के सम्पूर्ण दायरे को समेटना जरूरी है जिसमें लघु उद्यम क्षेत्र के साथ-साथ संबंधित सेवा क्षेत्रों को भी एक परस्पर संबंधित संजाल के रूप में शामिल किया जा सके। यह

आवश्यक था कि लघु उद्यमों से मध्यम उद्यमों के लिए एक दायरा बढ़ाने की जरूरत थी जिससे इसी तरह प्रौद्योगिकी के बेहतर और उच्चतर स्तर अपनाने और तेजी से हो रहे वैश्वीकरण में भी प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार अधिकांश विकसित और विकासशील देशों की तरह भारत में ही यह आवश्यक था कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सम्पूर्ण दायरे के सरोकारों पर ध्यान दिया गया और इस क्षेत्र को एक एकल कानूनी ढांचे के दायरे में लाया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ऐसे ही विषयों की ओर ध्यान देता है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित ऋण, विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देता है। 2 अक्टूबर, 2006 से लागू अधिनियमित एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 ने मध्यम स्तरीय उद्योगों तथा सेवा संबंधी उद्यम को भी मंत्रालय की सीमा में लाया गया है। तदनुसार मंत्रालय का नाम भी बदल गया है।

वर्तमान समय की आवश्यकता यह है कि संपूर्ण सू.ल.म.उ. क्षेत्र (सेवा क्षेत्र मिलाकर) को सहायता प्रदान की जाए, जिसमें ग्रामीण और सूक्ष्म उद्यमों पर विशेष जोर हो, जिसमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने तथा नई उँचाईयों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय हों। इस प्रकार, यद्यपि प्रस्ताव यह भी है कि लक्षित लाभार्थियों के रूप में मध्यम उद्यमों को भी इस स्कीम में शामिल किया जाए, तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सूक्ष्म ओर लघु उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

3. <u>उद्देश्य :</u>

स्कीम के विस्तृत उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं :

3.1 सू.ल.म.उ. की विपणन क्षमता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना,

3.2 सू.ल.म.उ. की क्षमताओं को प्रदर्शित करना,

3.3 प्रचलित बाजार परिदृश्य तथा उसके कार्यकलापों के संभावित प्रभावों के संबंध में सू.ल.म.उ को अद्यतन करना।

3.4 उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए सू.ल.म.उ. के कंसोर्टिया के गठन सुविधा प्रदान करना।

3.5 बड़े संस्थागत क्रेताओं के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया के लिए सू.ल.म.उ. को प्लेटफॉर्म प्रदान करना।

3.6 सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसार/प्रचार करना।

3.7 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विपणन कौशलों को बढ़ावा देना।

4. <u>सू.ल.म.उ. को विपणन सहायता</u>

इस स्कीम के अन्तर्गत, यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ओर से सू.ल.म.उ. को विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा निम्न कार्यकलापों के माध्यम से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धा और विपणन क्षमता बढ़ाई जाए :

4.1 एनएसआईसी के माध्यम से विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों का आयोजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलो में भागीदारी :

एनएसआईसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों/प्रदर्शनियों का आयोजन इस बात पर ध्यान रखकर किया जा सकता है कि भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक एक्सपोजर उपलब्ध कराया जाए ताकि वह नए उभर रहे व विकसित हो रहे बाजारों में नए विपणन अवसरों का पता लगा सकें। ये प्रदर्शनियां संबंधित पणधारियों और उद्योग संघों के परामर्श से आयोजित की जा सकती है। इन कार्यक्रमों के कैलेंडर को समय पर अंतिम रूप दिया जा सकता है और व्यापक प्रचार के लिए सभी भागीदारों/स्टेकहोल्डरों के मध्य वितरित किया जा सकता है। कार्यक्रमों का कैलेंडर एनएसआईसी की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाएगा। इस प्रकार के प्रदर्शन से भारतीय सूलमउ को अपनी विविध प्रोद्योगिकी, उत्पादों तथा सेवाओं को दर्शाने का मौका मिलेगा जिससे उन्हें व्यापार के अधिक अवसर मिलेंगे तथा व्यापार को बढ़ावा देने, संयुक्त उपक्रमों की स्थापना, प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन व्यवस्था और इमेज निर्माण में सहायता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन के अतिरिक्त, एनएसआईसी भारतीय सू.ल.म.उ. को चयनित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेने में भी मदद पहुंचाएगा। इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने में भी सू.ल.म.उ. अन्तर्राष्ट्रीय तौर-तरीकों को जान सकेंगे तथा उनका व्यापारिक कौशल बढेगा। ये कार्यक्रम सू.ल.म.उ. को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां वे आपस में मिलते हैं, तथा परस्पर चर्चा के आधार पर तकनीकी तथा व्यापारिक समझौता करते हैं।

4.1.1 सहायता का स्तर

क	विदेशों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों का आयोजन	
क्रम सं.	पात्र मदें	सहायता का स्तर
1-	जगह का किराया (बनाई गई दुकान)	सामान्य श्रेणी उद्यमियों के लिए : • सूक्ष्म उद्यम : वास्तविक प्रभार का 75% • लघु उद्यम : वास्तविक प्रभार का 60% • मध्यम उद्यम : वास्तविक प्रभार का 25% पूर्वात्तर क्षेत्र/महिलाएं/अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के उद्यमों के लिए : • सूक्ष्म उद्यम : वास्तविक प्रभार का 95% • लघु उद्यम : वास्तविक प्रभार का 85% • मध्यम उद्यम : वास्तविक प्रभार का 50%
2.	कार्यक्रमों को भेजे जाने वाली वस्तुओं का लदाई प्रभार	अधिकतम 25000/-रू. के अध्यधीन वास्तविक (37500/-रू. लैटिन अमेरिकी देशों के लिए), प्रति उद्यमी प्रति मार्ग

3.	वायुयान भाड़ा	सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए ● सूक्ष्म उद्यम - इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 85% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए) ● लघु उद्यम - इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 75% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए) ● मध्यम उद्यम - इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 25% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए) पूर्वोत्तर क्षेत्र/महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के उद्यमों के लिए (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए) ● सूक्ष्म उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा 95% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए) ● लघु उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा 85% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए) ● मध्यम उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा 50% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)		
4-	हवाई जहाज भाड़ा, स्थान का किराया और शिपिंग/परिवहन प्रभार के लिए सहायता की अधिकतम राशि	सामान्य श्रेणी		
			लैटिन अमेरिका	अन्य देश
		सूक्ष्म उद्यम	2.40 लाख रू.	2.00 लाख रू.
		लघु उद्यम	2.10 लाख रू.	1.75 लाख रू.
		मध्यम उद्यम	1.25 लाख रू.	1.00 लाख रू.
		पूर्वोत्तर क्षेत्र/महिलाएं/अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी उद्यमियों के लिए		
			लैटिन अमेरिका	अन्य देश
		सूक्ष्म उद्यम	2.70 लाख रू.	2.25 लाख रू.
		लघु उद्यम	2.40 लाख रू.	2.00 लाख रू.
		मध्यम उद्यम	1.60 लाख रू.	1.25 लाख रू.
5.	विज्ञापन, प्रचार और थीम पैविलियन	अधिकतम 20 लाख रू. के अध्यधीन उक्त चार उप शीर्षों के अन्तर्गत कुल देय सब्सिडी का 20%		

सामान्य तौर पर, ऐसे किसी मामले में कम से कम 20 या अधिक सूलमउ को भाग लेना चाहिए। तथापि, जांच समिति अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों के आयोजन के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिसमें सूलमउ कारणों की रिकॉर्डिंग के बाद 20 से कम भाग ले रहे हैं, जांच समिति ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले एनएसआईसी के प्रतिनिधियों की न्यूनतम को ध्यान में रखकर संख्या की सिफारिश भी कर सकती है। जांच समिति एनएसआईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को अनुमोदन के लिए उपयुक्त औचित्य और सिफारिश के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। तथापि, यदि कार्यक्रम हेतु बजटीय सहायता 50 लाख रू. से अधिक हो तो प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ख. विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी

क्रम सं.	पात्र मदें	सहायता का स्तर
1.	स्थान किराया (बनाई गई दुकान)	सामान्य श्रेणी उद्यमियों के लिए • सूक्ष्म उद्यम : वास्तविक शुल्क का 75% • मध्यम उद्यम : वास्तविक शुल्क का 60% • लघु उद्यम : वास्तविक शुल्क का 25% पूर्वोत्तर क्षेत्र/महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिए • सूक्ष्म उद्यम : वास्तविक शुल्क का 95% • मध्यम उद्यम : वास्तविक शुल्क का 85% • लघु उद्यम : वास्तविक शुल्क का 50%
2.	कार्यक्रम में भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिए लदाई प्रभार	प्रति उद्यमी अधिकतम 15000/-रू. (लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 20000/-रू.) के अध्यधीन वास्तविक राशि

<table>
<tr>
<td>3.</td>
<td>हवाई जहाज किराया</td>
<td colspan="3">सामान्य श्रेणी उद्यमियों के लिए :
● सूक्ष्म उद्यम : लघु उद्यमः इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 85% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
● लघु उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 75% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
● मध्यम उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 25% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)

पूर्वात्तर क्षेत्र/महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिए :
● सूक्ष्म उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 95% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
● लघु उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 85% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
● मध्यम उद्यम : इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़ा का 50% (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">4.</td>
<td rowspan="5">वायुयान भाड़ा, स्थान किराया और शिपिंग, परिवहन शुल्कों के लिए सहायता की अधिकतम राशि</td>
<td colspan="3"><u>सामान्य श्रेणी</u></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>लैटिन अमेरिका</td>
<td>अन्य देश</td>
</tr>
<tr>
<td>सूक्ष्म उद्यम</td>
<td>1.75 लाख रू.</td>
<td>1.50 लाख रू.</td>
</tr>
<tr>
<td>लघु उद्यम</td>
<td>1.50 लाख रू.</td>
<td>1.25 लाख रू.</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्यम उद्यम</td>
<td>1.00 लाख रू.</td>
<td>0.75 लाख रू.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>पूर्वोत्तर क्षेत्र/महिला/अ.जा./अ.ज.जा. श्रेंणी के उद्यमियों के लिए
<table>
<tr><td></td><td>लैटिन अमेरिका</td><td>अन्य देश</td></tr>
<tr><td>सूक्ष्म उद्यम</td><td>2.00 लाख रू.</td><td>1.75 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>लघु उद्यम</td><td>1.75 लाख रू.</td><td>1.50 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>मध्यम उद्यम</td><td>1.25 लाख रू.</td><td>1.00 लाख रू.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>विज्ञापन प्रचार और थीम पैविलियन आदि</td>
<td>अधिकतम 5 लाख रू. के अध्यधीन उक्त चार उप-शीर्षों के अंतर्गत स्वीकार्य कुल सब्सिडी का 20 %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">(i) सामान्य तौर पर, इस तरह के मामलों में कम से कम 5 लाख सूलमउ को भाग लेना चाहिए। यदि 10 सूलमउ तक भाग लेते हैं तो भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यमी के साथ सूलमउ मंत्रालय तथा एनएसआईसी में से प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि जाएंगे। यदि 10 सूलमउ से अधिक भाग लेते हैं तो उस स्थिति में जांच समिति आवश्यकता के आधार पर इस तरह के कार्यक्रम के लिए 1 अतिरिक्त एनएसआईसी अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। जांच समिति, उपयुक्त औचित्य और सिफारिश के साथ, प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी को सौंपेंगे।

(ii) एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेले में भाग लेने के लिए अधिकतम निवल बजटीय सहायता प्रति कार्यक्रम 20 लाख रू. की कुल अधिकतम सीमा में सीमित होगी। (लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 25 लाख रू.)। उन मामलों में जहां कार्यक्रम के लिए बजटीय सहायता 20 लाख से अधिक हो तो (लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 25 लाख रू.), उसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित होगा।</td>
</tr>
</table>

4.2 घरेलू प्रदर्शनियों का आयोजन तथा भारत में प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी :

देश के भीतर सू.ल.म.उ. को विपणन अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ निश्चित विषय आधारित प्रदर्शनियां/प्रौद्योगिकी मेलों आदि एन.एस.आई.सी.द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं, जिनका ध्यान एमएसएमई द्वारा दिए जानें वाले उत्पादों और सेवाओं पर होगा, जिसमें रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विशेष क्षेत्रों और क्लस्टरों से उत्पाद (जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, मशीन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, चमड़ा आदि) शामिल होंगे। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऐसी

प्रदर्शनियों/मेलों में अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए रियायती दर पर स्थान दिए जाएंगे। उक्त के अतिरिक्त, एनएसआईसी विभिन्न राज्य सरकार विभागों, उद्योग संघों और अन्य संस्थाओं को उनसे संबंधित सू.ल.म.उ. को संपूर्ण देश में उनके उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इन प्रदर्शनियों का आयोजन संबंधित स्टेकहोल्डरों और उद्योग संघों आदि के परामर्श से किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के लिए कैलेंडर को समय पर अंतिम रूप दिया जा सकता है तथा व्यापक प्रचार के लिए सभी भागीदारों/स्टेकहोल्डरों के मध्य वितरित किया जा सकता है। कार्यक्रमों के कैलेंडर को एन.एस.आई.सी. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से एम एस एम ई को नए बाजारों तक अपना विस्तार करने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें सहायक कंपनियां बनने, संयुक्त उद्यमों में भागीदार बनने और बड़ी कम्पनियों के लिए उप संविदा करने में मदद मिलेगी।

4.2.1 <u>सहायता का स्तर</u>

एम एस एम ई को अपने उत्पादों और सेवाओं को विभिन्न घरेलू प्रदर्शनियों में प्रदर्शन करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात एनएसआईसी द्वारा सब्सिडी दरों पर बना बनाया स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। सब्सिडी की दर उपलब्ध स्थान प्रभार पर निम्नानुसार होगीः

<u>सामान्य श्रेणी</u>

सूक्ष्म उद्यम- 75 प्रतिशत
लघु उद्यम- 60 प्रतिशत
मध्यम उद्यम- 25 प्रतिशत

पूर्वोत्तर क्षेत्र/महिला/अ.जा./अ.ज.जा श्रेणी से संबंधित उद्यम

सूक्ष्म उद्यम-95 प्रतिशत
लघु उद्यम-85 प्रतिशत
मध्यम उद्यम-50 प्रतिशत

घरेलू प्रदर्शनियां/व्यापार मेले आयोजित करने का बजट व्यय के विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जैसे निर्माण और फैब्रिकेटिंग शुल्कों सहित स्थान का किराया, थीम पैबिलियन, विज्ञापन, मुद्रण सामग्री, परिवहन आदि। तथापि, इस प्रकार की प्रदर्शनी/व्यापार मेला आयोजित करने के निबल व्यय के लिए बजटीय सहायता सामान्य रूप से अधिकतम 30 लाख रू. की राशि के भीतर होगी। प्रदर्शनी/व्यापार मेले में भागीदारी के लिए संगत बजटीय सीमा 10 लाख रू. होगी। उक्त बजटीय सीमाएं से अधिक होने के मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4.2.2 एनएसआईसी द्वारा ''टेकमार्ट'' प्रदर्शनी

एनएसआईसी प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान टेकमार्ट प्रदर्शनी का आयोजन करता है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जिसमें भारत के सूलमउ के सबसे अच्छे उत्पादों, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए आवंटित स्थान के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत तक इस उद्देश्य से समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी के उद्यमियों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमी/महिला/अ.ज/अ.ज.जा श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाने वाली सब्सिडी निम्नानुसार है-

सूक्ष्म उद्यम-95 प्रतिशत
लघु उद्यम-85 प्रतिशत
मध्यम उद्यम-50 प्रतिशत

टेकमार्ट आयोजित करने के लिए कुल बजटीय सहायता सामान्य रूप से 75 लाख रू. के भीतर होगी। इस सीमा से अधिक व्यय होने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय से लेना आवश्यक होगा।

4.3 अन्य संगठनों/उद्योग संघों/एजेन्सियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के सह-प्रायोजन हेतु सहायताः

इसके तहत सूलमउ क्षेत्र के लाभ के लिए देश के भीतर प्रदर्शनियां/मेले आयोजित करने के लिए, सूलमउ के संवर्धन और विकास में संलग्न विभिन्न संस्थाओं, उद्योग संघों और संगठनों को सहायता प्रदान की जा सकती है । यह सहायता एनएसआईसी द्वारा उस कार्यक्रम का सह-प्रायोजन करने के रूप में होगी। एनएसआईसी द्वारा किसी कार्यक्रम के सह-प्रायोजन के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक संगठन/एजेन्सी को निम्नलिखित मानदण्ड/शर्तो को पूरा करना चाहिए :-

(क) आवेदक संगठन/उद्योग संघ/संस्थान को कम से कम 3 वर्षो से सूलमउ के विकास में लगा होना चाहिए तथा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए।

(ख) आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम और दुकानों के लिए विशेष रूप से कम से कम 5 हजार वर्ग फीट का कवर क्षेत्र होना चाहिए तथा इसमें कम से कम 50 सूलमउ इकाईयों की भागीदारी होनी चाहिए। आयोजक को आवेदन के साथ प्रस्तावित प्रदर्शनी का एक ब्ल्यू प्रिन्ट/ले-आउट जमा करवाना अपेक्षित होगा।

(ग) मंत्रालय और इसके संगठनों के संवर्धनात्मक और अन्य स्कीमों के बारे में सूचना प्रसार के लिए एनएसआईसी को कम से कम 100 वर्ग फीट की एक दुकान आयोजक द्वारा एनएसआईसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) कार्यक्रम के नाम के पूर्व 'एनएसआईसी' लिखा होगा और इस बात को भी प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि सम्बन्धित कार्यक्रम 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' के लिए है तथा सूलमउ मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

(ड़) कार्यक्रम के सभी प्रकाशनों, साहित्य, बैनरों, होर्डिगों आदि पर एनएसआईसी और सूलमउ मंत्रालय का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित होगा।

4.3.1 सहायता का स्तर

किसी प्रदर्शनी/व्यापार मेले के सह-आयोजन के लिए आवेदक संगठन/एजेन्सी को सहायता का स्तर कार्यक्रम के स्थान पर निर्भर होगा। कार्यक्रम के सह-आयोजन के लिए प्रदर्शनी की जमीन/कक्ष शुल्क, दुकान लगाने, प्रचार आदि के व्यय को आशिंक रूप से पूरा करने के लिए बजटीय सहायता निबल व्यय(सकल व्यय-कुल आय) के 40 प्रतिशत की सीमा में होगी, जो निम्नलिखित अधिकतम राशि के अध्यधीन होगी-

'क' श्रेणी के शहरों के लिए 5 लाख रू.
'ख' श्रेणी के शहरों के लिए 3 लाख रू.
'ग' श्रेणी के शहरों के लिए 2 लाख रू.
ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख रू.

कार्यक्रम के सह-आयोजन के लिए सहायता कार्यक्रम सम्बन्धी रिपोर्ट और अन्य संगत कागजात प्रस्तुत करने पर, कार्यक्रम के उपरान्त प्रतिपूर्ति आधार पर आवेदक संगठन को उपलब्ध कराई जाएगी।

4.4 क्रेता-विक्रेता बैठकें

क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन एक प्लेटफार्म पर थोक क्रेताओं/सरकारी विभागों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक साथ लाने के लिए किया जाता है । थोक और विभागीय क्रेता जैसे रेलवे, रक्षा, संचार विभाग तथा बड़ी कम्पनियां अपनी विपणन प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए सूलमउ के नजदीक आने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य थोक विनिर्माताओं के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की ओर से विक्रेता विकास करना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक ओर तो थोक क्रेताओं की आवश्यकताओ

के बारे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को पता चलता है वहीं दूसरी ओर थोक क्रेताओं को उनकी अपनी खरीद सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सूलमउ की क्षमताओं का पता चलता है। इन क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, औद्योगिक विकास में लगे उद्योग संघों और अन्य एजेन्सियों सहित सम्बन्धित को स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके किया जा सकता है, और इन कार्यक्रमों के लिए कैलेण्डर समय पर अंतिम रूप दिया जा सकता है और व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा सकता है।

4.4.1 सहायता का स्तर

ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए सामान्य श्रेणी उद्यमियों को कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमी/महिला/अ.जा./अ.ज.जा श्रेणी के उद्यमियों के लिए निम्न उल्लिखित दरों के अनुसार क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए सब्सिडी दरों पर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा-

सूक्ष्म उद्यम -95 प्रतिशत
लघु उद्यम -85 प्रतिशत
मध्यम उद्यम -50 प्रतिशत

इस प्रकार के क्रेता-विक्रेता बैठकों के लिए कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत तक इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देशों और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र/महिला/अ.जा./अ.ज.जा. जैसे विशेष श्रेणी के उद्यमियों को अवांटित किया जाएगा।

क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करने के लिए बजट व्यय के विभिन्न घटकों जैसे स्थान का किराया, आन्तरिक सज्जा, विज्ञापन, मुद्रण सामग्री, परिवहन पर निर्भर करेगा। तथापि, क्रेता-विक्रेता बैठक के लिए बजटीय सहायता निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन होगा-

'क' श्रेणी के शहरों के लिए 5 लाख रू.
'खश्रेणी के शहरों के लिए 3 लाख रू.
'ग' श्रेणी के शहरों के लिए 2 लाख रू.
ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख रू.

4.5 गहन अभियान तथा विपणन संवर्धन कार्यक्रम-

गहन अभियान तथा विपणन संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए विभिन्न स्कीमों के सम्बन्ध में सूचना प्रसार के लिए किया जाता है। उन्हे

अपने उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता सुधारने तथा नवीनतम कार्यकलापों, गुणवत्ता मानकों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाती है।

4.5.1 सहायता का स्तर

गहन प्रचार तथा विपणन सुधार कार्यक्रमों के आयोजन के लिए व्यय इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से किया जाएगा, जो निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अध्याधीन होगा-

'क' श्रेणी के शहरों के लिए 80 हजार रू.
'ख' श्रेणी के शहरों के लिए 48 हजार रू.
'ग' श्रेणी के शहरों के लिए 32 हजार रू.
ग्रामीण क्षेत्रों में 16 हजार रू.

कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भागीदार इकाईयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। भाग लेने वाले सूलमउ अपने खर्च पर इन कार्यक्रमों में भाग लेंगें ।

4.6 अन्य सहायता कार्यकलाप :-

स्कीम के अन्तर्गत सूलमउ के विपणन सम्बन्धी प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संपादित किए जा सकते हैं :-

- सूलमउ के उत्पादों और सेवाओं के सम्वर्धन के लिए प्रदर्शन केन्द्रों, शो-विन्डो और होर्डिंग आदि का विकास।
- सम्बन्धित साहित्य, ब्रोचर और उत्पाद विशिष्ट कैटलगों का मुद्रण तथा सीडी और लघु फिल्मों का निर्माण।
- सूलमउ उत्पादों और सेवाओं के विपणन को सुविधा प्रदान करने हेतु वेबसाइट/पोर्टल विकसित करना।
- सूलमउ क्षेत्रों और कार्यक्रमों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के बारे में सामग्री के विज्ञापन और प्रचार का विकास और प्रसार करना।
- सूलमउ उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं/निर्यातकों की निदेशिका तैयार करना और अद्यतन करना।
- सूलमउ की सफल कहानियों का वृत्त चित्रण।
- घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों के लिए नए बाजारों/व्यापार सम्भावनाओं तथा उत्पादरेंज की सम्भावनाओं को जानने तथा उनका ऑकलन करने के लिए अध्ययन आयोजित करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों का आतिथ्य करना तथा नेटवर्किंग सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करना।

ऐसे कार्यकलापों के लिए बजटीय सहायता की अधिकतम राशि स्कीमों के कुल वार्षिक बजट के पांच प्रतिशत के भीतर होगी तथा किसी भी एक वैयक्तिक प्रस्ताव के लिए, उक्त किसी कार्यक्रम/कार्यकलाप के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा में 5.00 लाख रू. ही होगी।

5. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया-

सूलमउ मंत्रालय द्वारा स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया जाएगा, जो सम्पूर्ण देश में स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से स्कीम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यकलापों को सम्पादित करेगा। स्कीम के कार्यान्वयन की निधियां एनएसआईसी के उपयोग के लिए दी जाएगी, जो इसके उचित उपयोग तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा अपेक्षित अन्य रिपोर्टों की प्रस्तुति हेतु पूरी तरह जिम्मेवार होगा।

स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन/प्रस्ताव सीधे तौर पर एनएसआईसी को दिया जाएगा, जिसके साथ पूर्ण ब्यौरा और औचित्य दिया जाएगा। समेकित प्रस्ताव को विचार हेतु जांच समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसका गठन स्कीम के पैरा 6 के अनुसार किया जाएगा। जांच समिति प्रस्तावों की जांच करेगी और उस पर विचार करेगी, जिसके लिए वह पात्रता शर्तों और स्कीम के अन्तर्गत प्रदत्त विभिन्न मानदण्डों को ध्यान में रखेगी। प्रस्तावों पर विचार करने के दौरान उन उम्मीदवारों/इकाईयों को वरियता दी जाएगी जिन्होने अब तक इस स्कीम अथवा मंत्रालय की इस प्रकार की अन्य स्कीम के अन्तर्गत सहायता नहीं ली है। प्रस्तावों को जांच समिति द्वारा प्रक्रिया किए जाने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ एनएसआईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन वाले प्रस्तावों को एनएसआईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा, आईएफडी के साथ परामर्श करके, उचित औचित्य के साथ मंत्रालय के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जाएगा। सहायता को उम्मीदवारों की फीडबैक सहित कार्यक्रम की रिपोर्ट और अन्य निर्धारित दस्तावेजों की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति आधार पर संबन्धित आवेदक संगठन को जारी की जाएगी।

6. जांच समिति

विपणन सहायता स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव की जांच एक जांच समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता एनएसआईसी के निदेशक (नियोजन और विपणन) करेगें जिसमें वित्त और प्रदर्शनी प्रभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जांच समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार या जब और जहां आपेक्षित, हो वहां होगी।

7. प्रशासनिक व्यय

एनएसआईसी, सूलमउ मंत्रालय की विपणन सहायता स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी है। विपणन सहायता स्कीम के कुल व्यय का 10 प्रतिशत के आस-पास प्रशासनिक व्यय स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एनएसआईसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रशासनिक व्यय में उपरिव्यय तथा जनशक्ति की लागत तथा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एनएसआईसी द्वारा किए गए अन्य प्रयासों की लागत शामिल होगी।

8. मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

स्कीम की प्रगति की समीक्षा और मॉनीटरिंग समय-समय पर एनएसआईसी तथा सूलमउ मंत्रालय द्वारा की जाएगी तथा प्रगति पर आधारित आवधिक रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। स्कीम के प्रभाव और लाभों का मूल्यांकन और अध्ययन एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा आन्तरिक अध्ययनों, नमूना सर्वेक्षणों, फीडबैक रिपोर्टों आदि के माध्यम से किया जाएगा।